मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 07] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013-माघ 26, शके 1934

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

IN THE HIGH COURT OF MADHYA PRADESH
BENCH AT INDORE
ORIGINAL JURISDICTION
Company Petition No. 03 of 2013
In the matter of the Companies Act, 1956;
AND
In the matter of Sections 391 to 394 read with sections 100 to 105
of the Companies Act, 1956;
AND
In the matter of Scheme of Arrangement for Reconstruction/Restructuring
of capital of Panjon Limited.

PANJON LIMITED, a Company incorporated under the Companies Act,1956, having its **Registered Office at 01 Panjon Farm House, Nr Hinkargiri Jain Trith, Airport-Bijasan Road, Indore (M. P.).**

...Petitioner Company.

NOTICE OF HEARING OF PETITION

Notice is hereby given that a Petition for obtaining the sanction of Hon'ble High Court for **scheme of arrangement for reconstruction/restructuring of capital of panjon limited**; and their respective shareholders under the provisions of sections 391 to 394 read with sections 100 to 105 of the Companies Act, 1956 was presented and the same shall be heard by the Hon'ble Court on 06th March, 2013.

Any person desirous of supporting or opposing the said Petition should send to the Petitioner at its

registered office above or to its Advocate B. M. Maheshwari notice of such intention singed by him or counsel so as to reach the Petitioner or its Advocate not later than 2 days before the date fixed for hearing of the Petition and appear at the hearing for the purpose in person or by his Advocate. A copy of the petition will be furnished by the undersigned to any person requiring the same on payment of the prescribed charges for the same. Any affidavit intended to be used in opposition to the Petition should be filed in the Hon'ble Court and a copy be served on the Petitioner or its Advocate not less than 2 days before the date fixed for the hearing.

Indore, Dated : 22nd January, 2013.

B. M. MAHESHWARI,
Advocate for the Petitioner,
225, Milinda Manor, II Floor,
Opp. Central Mall 2, R. N. T. Marg,
Indore-452 001 (M.P.).

(302-B.)

अन्य सूचनाएं

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम श्रीया जैन पिता रजनीकांत जैन था, जो अब परिवर्तित होकर श्रीया गांधी हो गया है. अत: भविष्य में मुझे मेरे नये नाम श्रीया गांधी के नाम से जाना, पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(श्रीया जैन)

नया नाम :

(श्रीया गांधी)

पता—302, समवशरण अपार्टमेन्ट,
16/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म. प्र.).

(306-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

हमने हमारी पुत्री किंजल जैन का नाम परिवर्तन कर किंजल गांधी कर लिया है. अबसे हमारी पुत्री को इसी नाम से जाना पहचाना जावे.

स्वाती जैन (माता)
रजनीकांत जैन (पिता)
समवशरण अपार्टमेन्ट,
16/1, साउथ तुकोगंज, इन्दौर (म. प्र.).

(307-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Fatima hereby declare that I have change my name as Farida Hussain W/o Shabbir Hussain. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(Fatima)

New Name :

(Farida Hussain)
W/o Shabbir Hussain,
Add. 70/1, Rani Pura, Indore. (M. P.).

(305-B.)

CHANGE OF NAME

I, Manish Rathore, hereby declare that I have change my name as Munesh Rathore. So, from now and in future I will be known by my new name.

Old Name :

(Manish Rathore)

New Name :

(Munesh Rathore)
Add. A-44, Chanra Rathore,
A. B. Road, Indore (M. P.).

(304-B.)

दत्तक ग्रहण सूचना

मेरे द्वारा उत्सव शर्मा पुत्र श्री राजकुमार शर्मा को दत्तक ग्रहण किया गया है. इस कारण, मेरा नाम उत्सव शर्मा के पिता व मेरी पत्नी श्रीमती सुमन शर्मा का नाम इनकी माता के रूप में प्रयोग किया जावेगा.

(राजकुमार शर्मा)
जी-12/74, विजय नगर,
इन्दौर (म. प्र.).

(संजय शंकर शर्मा)
पुत्र श्री अचल शंकर शर्मा,

(303-बी.)

नाम परिवर्तन

यह कि मेरे पक्षकार ने सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 2007 अनुक्रमांक 1242501 से जवाहर नवोदय विद्यालय, बरगी नगर, जिला जबलपुर से उत्तीर्ण किया है. जिसकी सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 2007 की अंकसूची एवं प्रमाण-पत्र में मेरे पक्षकार का नाम नीरज पिता नरेश कुमार कलार माता शीला कलार दर्ज है. जबकि कलार जाति है एवं जायसवाल उपजाति है. यह कि मेरे पक्षकार की सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा, 2007 की अंकसूची, प्रमाण-पत्र में दर्ज जाति कलार को खारिज कर उपजाति जायसवाल दर्ज की जावे एवं पूरा नाम नीरज कुमार जायसवाल पिता नरेश कुमार जायसवाल माता शीला जायसवाल दर्ज किया जावे एवं भविष्य में इन्हीं नामों से मेरे पक्षकार को जाना एवं पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय, अर्द्धशासकीय रिकार्डों में सुधार किया जावे जो कि सही व सत्य है.

अरूण विश्वकर्मा,
(अधिवक्ता),
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर.

(300-बी.)

नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम जाहिदा बी था, लेकिन मेरी शादी के बाद मुझे अब अंजलि सिंह पत्नि श्री सुरेन्द्र सिंह के नाम से जाना जाये. क्योंकि मेरी शादी हिन्दू रीति रिवाज से हुई है.

पुराना नाम :
(जाहिदा बी)

नया नाम :
(अंजलि सिंह)
निवासी—एफ 1/2, शालीमार गार्डन,
दामखेडा, कोलार रोड, भोपाल (म. प्र.).

(301-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, उवेस कादरी ने अपना नाम परिवर्तन कर सेफुल्लाह कादरी कर लिया है.

अब से मुझे इसी नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :
(उवेस कादरी)

नया नाम :
(सेफुल्लाह कादरी)
1, रविनगर, खजराना,
इन्दौर (म. प्र.).

(309-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम विवाह पूर्व जसवन्ता पुत्री केदार सिंह पाटीदार था, किन्तु विवाह उपरांत मेरा नाम जया पटेल पति मनोज पटेल हो गया है. भविष्य में तथा किसी भी शासकीय, अर्द्धशासकीय व अन्य दस्तावेज में इसी नाम से जाना जाये.

पुराना नाम :
(जसवन्ता पाटीदार)

नया नाम :
(जया पटेल)
10, द्रविड मार्ग,
बहादुरगंज 2, उज्जैन (म. प्र.).

(308-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम अर्पिता पण्ड्या D/o श्री पंकज पण्ड्या, निवासी कश्यप स्वीट्नर्स लिमिटेड परिसर, महू नीमच रोड, बदनावर, जिला धार है. मेरा विवाह श्री शैलेष त्रिवेदी S/o श्री हीरालाल त्रिवेदी, निवासी एफ-II-106, गार्डन रेसीडेंस, चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल के साथ दिनांक 5 दिसम्बर, 2012 को सम्पन्न हुआ है. अत: अब भविष्य में मुझे अर्पिता त्रिवेदी W/o श्री शैलेष त्रिवेदी के नाम से जाना एवं पहचाना जाए तथा समस्त शासकीय तथा गैर सरकारी कार्यों में मेरा नाम ''अर्पिता त्रिवेदी'' जाना एवं पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(अर्पिता पण्ड्या)

नया नाम :

(अर्पिता त्रिवेदी)
W/o श्री शैलेष त्रिवेदी,
एफ-II-106, गार्डन रेसीडेंस,
चूनाभट्टी, कोलार रोड, भोपाल.

(310-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी, 2013

क्र. जी.बी./दो (99)2012/471.—मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल में जीवित पंजीकृत समस्त जिल्दसाजों से बाइंडिंग एवं अन्य कार्य कराने हेतु दोहरी लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत निर्धारित निविदा प्रपत्र में तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा (पृथक्-पृथक् लिफाफों में सीलबन्द कर) दिनांक 22 फरवरी, 2013 अपराह्न 1.00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित की जाती है. निविदा प्रपत्र रुपये 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) नगद जमा कर दिनांक 21 फरवरी, 2013 अपराह्न 4.00 बजे तक कार्यालयीन दिवस में क्रय किये जा सकते हैं. विलम्ब से प्राप्त होने वाली निविदा को स्वीकार नहीं किया जावेगा. निविदा प्रपत्र को मध्यप्रदेश शासन की वेबसाइट **www.tenders.gov.in** एवं **www.govtpressmp.nic.in** पर भी रखा गया है.

2. वेबसाइट से डाऊनलोड कर प्रस्तुत किये जा रहे निविदा प्रपत्र के साथ राष्ट्रीयकृत/अनुसूची बैंक का रुपये 500.00 (रुपये पाँच सौ मात्र) का डिमाण्ड ड्राफ्ट जो नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल के पक्ष में तैयार कर संलग्न करना होगा. संलग्न न होने की स्थिति में निविदा अस्वीकार की जायेगी.

3. निर्धारित समय तक प्राप्त निविदाओं की तकनीकी निविदा दिनांक 22 फरवरी, 2013 अपराह्न 3.00 बजे निविदाकारों या उनके द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि के समक्ष खोली जायेगी. तकनीकी निविदाओं के परीक्षण उपरांत वाणिज्यिक निविदा खोलने की तिथि एवं समय की सूचना वेबसाइट पर प्रदर्शित की जायेगी. डाक विभाग से निविदा आदि भेजने एवं इस कार्यालय में प्राप्त करने आदि में हुए विलम्ब के लिये नियंत्रक कार्यालय उत्तरदायी नहीं होगा.

4. किसी भी निविदा को स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार नियंत्रक के पास सुरक्षित रहेगा.

हीरालाल त्रिवेदी,
नियंत्रक,
शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री,
मध्यप्रदेश, भोपाल.

(73)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, आरोन, जिला गुना

आरोन, दिनांक 1 फरवरी, 2013

प्र. क्र./1 बी-113/12-13/264.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1959 की धारा-5 की उपधारा 2 और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम 5 (1) एवं 5 (2)]

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि सनातन धर्म मण्डल ट्रस्ट, आरोन के धार्मिक, सामाजिक एवं आध्यात्मिक कार्यक्रमों को सही ढंग से संचालन करने एवं ट्रस्ट की सम्पत्ति को सुरक्षित बचाये रखने के लिये आवेदकगण देवेन्द्रसिंह रघुवंशी, मनोहरलाल शर्मा आदि 15 व्यक्तियों द्वारा सनातन धर्म मण्डल ट्रस्ट, आरोन के ट्रस्टीज बनने एवं ट्रस्ट की सदस्यता एवं विधिवत् सदस्यता की राशि जमा करने के लिये तैयार होकर अपने

आवेदन-पत्र मेरे समक्ष प्रस्तुत किये हैं. इन आवेदन-पत्रों पर मेरे द्वारा न्यायालय में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को विचार किया जावेगा. सदस्यता हेतु आवेदकगणों की सूची निम्नानुसार है :—

1. देवेन्द्रसिंह पुत्र श्री इमरत सिंह रघुवंशी, निवासी आरोन
2. मनोहरलाल शर्मा पुत्र शिवनारायण शर्मा, निवासी आरोन
3. लालसिंह पुत्र मंगलसिंह यादव, निवासी आरोन
4. हरनामसिंह पुत्र मंगलसिंह राजपूत, निवासी आरोन
5. गोपालबावू पुत्र राधेश्याम सोनी, निवासी आरोन
6. ब्रजेशसिंह पुत्र रघुवीरसिंह रघुवंशी (सिरसी), आरोन
7. ओमप्रकाश पुत्र जगन्नाथ प्रसाद बेंदेल, आरोन
8. किशनलाल (वकील) पुत्र गंगाराम शर्मा, आरोन
9. रामवीरसिंह पुत्र काशीराम रघुवंशी, आरोन
10. संजीव साहू पुत्र मर्दनसिंह साहू, आरोन
11. रामस्वरूप पुत्र श्यामलाल नामदेव, आरोन
12. संजय पुत्र रामस्वरूप कसेरा, आरोन
13. जयनारायण पुत्र बंशीलाल टाण्डेल, आरोन
14. भगवानलाल पुत्र जमनालाल शर्मा, आरोन
15. संजीव पुत्र भुजबल ओझा, आरोन

अत: एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उक्त न्यास, उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे अनुसूची में दिया गया है. के संबंध में अभिरूचि रखता हो तथा उक्त आवेदकों की सदस्यता के संबंध में यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हो, तो वह मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिवस के अंदर इस न्यायालय में कार्यालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है. निश्चित समय-सीमा के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा.

अनुसूची

न्यास का नाम और पता	:	सनातन धर्म मण्डल ट्रस्ट, आरोन, जिला गुना.
न्यास की अचल सम्पत्ति	:	आरोन के सर्वे क्र. 1333 रकबा 0.606 हे. एवं श्रीदास हनुमानजी का मन्दिर, श्री राम दरबार, शिवालय, भैंरोबाबा का मन्दिर तथा 30 × 30 का एक हॉल, 20 × 10 का एक कमरा पक्का.

आज दिनांक 01 फरवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एस. एच. शेख,
अनुविभागीय अधिकारी.

(89)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, राजधानी परियोजना, टी. टी. नगर वृत्त, भोपाल

प्ररूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि "विचार योग फाउन्डेशन" द्वारा श्री प्रमोद दुबे आत्मज स्व. श्री रामनारायण दुबे, अध्यक्ष, निवासी—14, प्लेटिनम पार्क माता मंदिर, भोपाल ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु निवेदन किया गया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 21 फरवरी, 2013 को विचार किया जाएगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर

अपनी आपत्ति अथवा सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथास्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि के व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम . . "विचार योग फाउन्डेशन "
2. अचल सम्पत्ति . . —
3. चल सम्पत्ति . . 5,100/- रुपये.

सुनील दुबे,
रजिस्ट्रार.

(74)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट एवं अनुविभागीय अधिकारी, उपखण्ड जावरा, जिला रतलाम

जावरा, दिनांक 21 जनवरी, 2013

फॉर्म-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) के तहत्]

क्र. 369/आर-1/13.—आवेदक अध्यक्ष श्री धरमचंद पिता केसरीमल चपड़ोद, निवासी पिपली बाजार, जावरा व अन्य सदस्यों द्वारा धारा-4 (2) मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट विधान के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया जाकर आनंदी हनुमान शांति वाटिका, शहर जावरा का ट्रस्ट पंजीयन करने हेतु निवेदन किया गया है. जिसकी सुनवाई दिनांक 22 फरवरी, 2013 को उपखण्ड कार्यालय जावरा पर प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की आपत्ति हो तो प्रकरण में नियत दिनांक 22 फरवरी, 2013 को इस कार्यालय में अपना लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा अपने एजेंट के द्वारा नियत समय पर उपस्थित होवें. निर्धारित नियत दिनांक व समय पर उपस्थित नहीं होने पर प्रस्तुत की जाने वाली आपत्ति पर किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

1. न्यास का पूरा नाम व पता	:	आनंदी हनुमान शांति वाटिका, शहर जावरा, तहसील जावरा, जिला रतलाम.
2. अचल सम्पत्ति का विवरण	:	आनंदी हनुमान शांति वाटिका, शहर जावरा में 2 बड़े हॉल, पतरापोश सेट, बगीचा, स्नानगृह, हनुमानजी का मंदिर, पानी की टंकी एवं खुली भूमि कृषि भूमि सर्वे नं. 756 रकबा 0.506 हेक्टर, सर्वे नं. 578 रकबा 0.190 हेक्टर एवं सर्वे नं. 758 रकबा 0.569 हेक्टर भूमि.
3. चल व अचल सम्पत्ति का विवरण	:	चार सेट पतरापोश, 2 बड़े हॉल एवं खुली भूमि की कीमत लगभग रुपये 5,00,000/- (अक्षरी रुपये पाँच लाख मात्र) एवं कृषि भूमि 4 बीघा की कीमत लगभग रु. 4,00,000/- (अक्षरी रुपये चार लाख मात्र)तथा रु. 7,41,000/- विभिन्न दानदाताओं से प्राप्त.

कैलाशचन्द्र जैन,
रजिस्ट्रार एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(75)

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, सुसनेर, उपखंड सुसनेर, नलखेड़ा, जिला शाजापुर

प्रारूप क्रमांक-3

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1962 का नियम-5 (1) के द्वारा]

पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, ग्राम सुसनेर, तहसील सुसनेर, जिला शाजापुर.

क्योंकि मुझे यह प्रतीत होता है कि अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति को मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-2 उपधारा 4 के अभिप्रयास के लिये लोक न्यास है और उसका गठन करती है.

अतः मैं, पंजीयक, सार्वजनिक न्यास का पंजीयन, सुसनेर जिला शाजापुर अनुसूचित 01 में अंकित लोक न्यास का पंजीयन अपने न्यायालय मि. को उक्त अधिनियम की धारा-5 के उपधारा 01 के द्वारा यथाअपेक्षित जाँच करना प्रस्तावित करना है.

अत: इसके द्वारा सूचना दी जाती है कि न्यास या संपत्ति का कोई न्यासधारी या कर्मकारी न्यासधारी या उसके हित रखने वाला या इस संपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाला या विचार रखने वाला व्यक्ति को इस सूचना प्रकाशन दिनांक से एक माह के अन्दर दी गई प्रतियों में लिखित पेश करना और मेरे समक्ष उक्त दिनांक को या वह व्यक्ति या अभिभाषक या अभिकर्ता उपस्थित होकर पेश करना चाहिये. उपरोक्त अवधि के पश्चात् आपत्तियों को विचार करने के लिये ग्रहण नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम व पता	:	आचार्य श्री मुनी सुन्दरसुरी जैन श्वेताम्बर मूर्तिपूजा धार्मिक एवं परमार्थक न्यास, नलखेड़ा (फैटी) जिला शाजापुर (मध्यप्रदेश).
ट्रस्ट का उद्देश्य	:	अ. श्वेताम्बर मूर्ति पूजा के धर्म में रुचि रखने वाले धर्म (मंदिर का) उपाश्रय, धर्मशाला, भोजनशाला व उसके निर्माण की व्यवस्था करना. ब. साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका जिनकी आयु अधिक होने से एवं वृद्धावस्था होने से तथा जो निराश्रित होने से या जिनको आश्रय का कोई साधन होने से, अल्पकालीन आवास तथा भोजन की व्यवस्था न होने से उनकी उचित व्यवस्था करना. स. साधु, साध्वी के चिकित्सा की व आवागमन की व्यवस्था करना. द. जैन धर्म के निकास एवं जैन बंधुओं की समय-समय पर उचित सहायता करना. समय-समय पर धर्म का प्रचार के लिये सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन करना. ई. अभ्यास हेतु ग्रंथालय, वाचनालय एवं पाठन की पुस्तकों की व्यवस्था करना या उनके वाचन के लिये प्रवचन की व्यवस्था करना. अन्य ऐसे कार्य जो श्वेताम्बर मूर्ति पूजक सिद्धांतों के अनुरूप हो. एफ. अर्थव्यवस्था हेतु समाज के व्यक्तियों तथा संस्थाओं से अंशदान प्राप्त करना तथा उन्हें दान देने का महत्व समझाना.
लोक न्यास के अध्यक्ष एवं सदस्यों की जानकारी		अध्यक्ष—विशाल कर्णावत पिता श्री नरेन्द्र कुमार कर्णावत, 5/10, बड़ा बाजार, शुजालपुर सिटी, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश. उपाध्यक्ष—श्री कमलचंद पिता कारूलाल छाजेड़, तहसील रोड, नलखेड़ा, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश. सचिव—श्रीमति ललीता ठाकुर पति पुखराज ठाकुर, तहसील रोड, नलखेड़ा, जिला शाजापुर. सहसचिव—श्री राजेन्द्र कुमार ठाकुर पिता ताराचंदजी ठाकुर, तहसील रोड, नलखेड़ा, जिला शाजापुर. कोषाध्यक्ष—श्रीमती सुमित्र सिंघवी पति विरेन्द्रकुमारजी सिंघवी, 11, जवाहर मार्ग, नलखेड़ा, जिला शाजापुर. अन्य सदस्यगण—श्री अटल कुमार ठाकुर पिता ताराचंद जी ठाकुर 2. सोमेश कुमार सिंघवी पिता विरेन्द्रकुमार सिंघवी 3. चन्द्रशेखर फाफरिया पिता ताराचंदजी फाफरिया 4. श्रीमति अंजना ठाकुर पति राजेन्द्रकुमार ठाकुर 5. कु. ज्योति ठाकुर पिता पुखराज ठाकुर सर्व निवासी-नलखेड़ा, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	कुछ नहीं.
ट्रस्ट की चल संपत्ति	:	चल संपत्ति में 10,000 रुपया वर्तमान में कोषाध्यक्ष के पास जमा है.

लक्ष्मी गामड,
अनुविभागीय अधिकारी.

(76)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट थादंला, जिला झाबुआ

फॉर्म-चार

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, अधिनियम 1951 की धारा-5 (2) के तहत्]

1. आवेदक श्री हीरालाल पटेल (अध्यक्ष) निवासी ग्राम खवासा द्वारा श्रीराम मंदिर (कुंलबी समाज) सेवा व धार्मिक निजी न्यास खवासा, तहसील थांदला को सार्वजनिक लोक न्यास के रूप में पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट विधान की धारा 4-5 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है, जिसकी सुनवाई दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को उप-खण्ड न्यायालय थादंला में समय प्रातः 11.00 बजे की जावेगी.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट की सम्पत्ति के प्रति रूचि हो, प्रकरण में नियत दिनांक 26 दिसम्बर,2012 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियॉ प्रस्तुत करें, और स्वंय या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11.00 बजे उक्त दिनांक को उपस्थित होवें, निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम	:	श्रीराम मंदिर (कुंलबी समाज) सेवा व धार्मिक ट्रस्ट, खवासा.
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम खवासा स्थित कृषि भूमि सर्वे नं.-1394, रकबा 1 हेक्टर, लगान 31.00 एवं आवेदन-पत्र में उल्लेखित सम्पत्ति.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 3,19,863/- (तीन लाख उन्नीस हजार आठ सौ त्रेसठ रुपये) स्टेट बैंक ऑफ इन्दौर, शाखा खवासा में बचत खाता व एफडीओं के रूप में जमा है.

प्रहलाद अमरचिया,

(77) अनुविभागीय अधिकारी (रा.).

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

''माँ जिनवाणी दिगम्बर जैन ट्रस्ट, इन्दौर, मध्यप्रदेश'' कार्यालय 90 सी, बख्तावर राम नगर, इन्दौर, की ओर से आवेदक श्री दिलीप जैन पिता राजकुमार जैन, निवासी—एम. एस. जे. फार्म हाऊस, लसूडिया परमार (डकाच्या) टाटा मोटर्स के पास, इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''माँ जिनवाणी दिगम्बर जैन ट्रस्ट, इन्दौर, मध्यप्रदेश''
पता	:	90 सी, बख्तावर राम नगर, इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	ग्राम लसूडिया परमार, तहसील सांवेर, जिला इंदौर पटवारी हल्का नम्बर 26/2 सर्वे नम्बर 323/1 ख रोड से अंदर स्थित कृषि भूमि में से रकबा 90 गुणे 111.25 वर्गफीट कुल 10012.50 स्क्वेयर फीट अर्थात् 0.093 हेक्टेयर भूमि है.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 50,000/- (अक्षरी रुपये पचास हजार मात्र)

आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(78)

(फॉर्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

''ओम शांति सेवा फाउण्डेशन ट्रस्ट'' कार्यालय जी-1, गायत्री अपार्टमेन्ट, 283, गोयल नगर,इन्दौर की ओर से आवेदिका नीना सक्सेना पिता धर्मविजय सक्सेना, निवासी—जी-1, गायत्री अपार्टमेन्ट, 283, गोयल नगर,इन्दौर द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

पब्लिक ट्रस्ट का नाम	:	''ओम शांति सेवा फाउण्डेशन ट्रस्ट''
पता	:	जी-1, गायत्री अपार्टमेन्ट, 283, गोयल नगर,इन्दौर
अचल सम्पत्ति	:	निरंक है.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 1,100/- (अक्षरी रुपये एक हजार एक सौ मात्र)

आज दिनांक 10 सितम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

शरद श्रोत्रिय,
रजिस्ट्रार.

(78-A)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय वनमंडलाधिकारी, उत्पादन वनमंडल, देवास

देवास, दिनांक 24 जनवरी, 2013

क्र./भंडार/2013/01.—पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर जो वन परिक्षेत्र अधिकारी, पुंजापुरा को कूप क्रमांक 9 IWC डोगंलापानी हेतु श्री देवकरण मालवीय वनपाल को विदोहित वनोपज की निकासी हेतु प्रदाय पासिंग हेमर क्रमांक D. S. 376 दिनांक 20 अक्टूबर, 2012 को घर से वन परिक्षेत्र कार्यालय में जमा करने हेतु एक झोले में रखकर ला रहे थे, इस बीच हेमर कहीं गिर गया. कूप प्रभारी द्वारा हेमर काफी तलाश किया गया किन्तु नहीं मिला. हेमर गिरने की सूचना वनपाल द्वारा थाना बागली, जिला देवास में दिनांक 24 अक्टूबर, 2012 को की गई. अत: गुम हेमर का दुरुपयोग न हो इस दृष्टि से वन वित्तीय नियम 124 के द्वारा प्रदत्त प्रावधानों का उपयोग करते हुए पार्श्व में अंकित पासिंग हेमर भंडार से अपलेखित किया जाता है. हेमर का मूल्य रुपये 450/- श्री देवकरण मालवीय वनपाल से वसूल करने तथा हेमर की सुरक्षा में लापरवाही बरतने के लिये परिनिंदित किया जाता है. इसके अतिरिक्त सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त दर्शित आकृति का हेमर जो गुम हो चुका है. जिसकी सूचना पुलिस थाना में दी जा चुकी है.

यदि किसी व्यक्ति को उक्त हेमर प्राप्त होता है तो वन परिक्षेत्र कार्यालय उत्पादन पुंजापुरा अथवा पुलिस थाना बागली में जमा करावें. यदि कोई व्यक्ति उक्त हेमर का उपयोग अवैध रूप से करता पाया गया तो उसके विरुद्ध भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-63 के अंतर्गत कार्यवाही की जावेगी.

लाल जी मिश्रा,
वनमंडलाधिकारी.

(88)

कार्यालय उप रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटीज, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2046.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिये सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को आयोजित कराई गई जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक, मत्स्य सहकारी महासंघ मर्यादित, खण्डवा क्षेत्रीय, कार्यालय नर्मदानगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि माँ शारदा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बरूडमाल पंजीयन क्रमांक 2164, दिनांक 25 अगस्त, 2011 लगातार अक्रियाशील रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

संस्था के लगातार अक्रियाशील होने से उक्त संस्था की शीर्ष संस्था के प्रस्ताव अनुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए है, का प्रयोग करते हुए माँ शारदा मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बरूडमाल पंजीयन क्रमांक 2164, दिनांक 25 अगस्त, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(79)

खण्डवा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2047.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिये सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को आयोजित कराई गई जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक, मत्स्य सहकारी महासंघ मर्यादित, खण्डवा, क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदानगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि धन्नाबाबा आ. हरि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., चांदगढ़ पंजीयन क्रमांक 2174, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 लगातार अक्रियाशील रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

संस्था के लगातार अक्रियाशील होने से उक्त संस्था की शीर्ष संस्था के प्रस्ताव अनुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए है, का प्रयोग करते हुए धन्नाबाबा आ. हरि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., चांदगढ़ पंजीयन क्रमांक 2174, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको

उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(79-A)

खण्डवा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2048.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिये सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को आयोजित कराई गई जिसमें सहायक संचालक मत्स्योद्योग खण्डवा , के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि आदर्श आ. वि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बिजोरामाफी पंजीयन क्रमांक 2164, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 लगातार अक्रियाशील रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

संस्था के लगातार अक्रियाशील होने से उक्त संस्था की शीर्ष संस्था के प्रस्ताव अनुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए आदर्श आ. वि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., बिजोरामाफी पंजीयन क्रमांक 2164, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(79-B)

खण्डवा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2049.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिये सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को आयोजित कराई गई जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक, मत्स्य सहकारी महासंघ मर्यादित, खण्डवा, क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदानगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि सदभावना अनु. जा. वि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., डंठा पंजीयन क्रमांक 2175, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 लगातार अक्रियाशील रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

संस्था के लगातार अक्रियाशील होने से उक्त संस्था की शीर्ष संस्था के प्रस्ताव अनुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए सदभावना अनु. जा. वि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., डंठा पंजीयन क्रमांक 2175, दिनांक 19 दिसम्बर, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(79-C)

खण्डवा, दिनांक 24 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2050.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने के लिये सहायक संचालक मत्स्योद्योग, खण्डवा द्वारा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक दिनांक 04 दिसम्बर, 2012 को आयोजित कराई गई जिसमें क्षेत्रीय प्रबंधक, मत्स्य सहकारी महासंघ मर्यादित, खण्डवा क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदानगर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत कमेटी द्वारा निर्णय लिया गया कि जय बिजासनी वि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., अंधारवाडी पंजीयन क्रमांक 2172, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 लगातार अक्रियाशील रहने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जावे.

संस्था के लगातार अक्रियाशील होने से उक्त संस्था की शीर्ष संस्था के प्रस्ताव अनुसार लिये गये निर्णय के परिप्रेक्ष्य में संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए जय बिजासनी वि. मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्या., अंधारवाडी पंजीयन क्रमांक 2172, दिनांक 09 दिसम्बर, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 24 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(79-D)

खण्डवा, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2057.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने एवं अक्रियाशील मछुआ सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 में सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला खण्डवा एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, मत्स्य सहकारी महासंघ मर्या., भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदानगर/ओंकारेश्वर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत लगातार अक्रियाशील होने के कारण पटेल मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बडखाल्या पंजीयन क्रमांक 2104, दिनांक 21 अगस्त, 2008 को कमेटी द्वारा परिसमापन में लाये जाने बाबत् निर्णय लिया गया है तथा सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक/1166/म/समिति/2012-13 खण्डवा दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 के द्वारा उक्त समिति को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है. उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999

द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए पटेल मत्स्य सहकारी समिति मर्या., बडखाल्या पंजीयन क्रमांक 2104, दिनांक 21 अगस्त, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(79-E)

खण्डवा, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2058.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने एवं अक्रियाशील मछुआ सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 में सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला खण्डवा एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, मत्स्य सहकारी महासंघ मर्या., भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदानगर/ओंकारेश्वर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत लगातार अक्रियाशील होने के कारण एवन मत्स्य सहकारी समिति मर्या., चारखेड़ा पंजीयन क्रमांक 2105, दिनांक 21 अगस्त, 2008 को कमेटी द्वारा परिसमापन में लाये जाने बाबत् निर्णय लिया गया है तथा सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक/1166/म/समिति/2012-13 खण्डवा दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 के द्वारा उक्त समिति को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है. उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए एवन मत्स्य सहकारी समिति मर्या., चारखेड़ा पंजीयन क्रमांक 2105, दिनांक 21 अगस्त, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(79-F)

खण्डवा, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2059.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने एवं अक्रियाशील मछुआ सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 में सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला खण्डवा एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, मत्स्य सहकारी महासंघ मर्या., भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदानगर/ओंकारेश्वर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत लगातार अक्रियाशील होने के कारण माँ रेवा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नया हरसूद पंजीयन क्रमांक 2118, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को कमेटी द्वारा परिसमापन में लाये जाने बावत् निर्णय लिया गया है तथा सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक/1166/म/समिति/2012-13 खण्डवा

दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 के द्वारा उक्त समिति को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है. उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए माँ रेवा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नया हरसूद पंजीयन क्रमांक 2118, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(79-G)

खण्डवा, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2060.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने एवं अक्रियाशील मछुआ सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 में सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला खण्डवा एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, मत्स्य सहकारी महासंघ मर्या., भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदानगर/ओंकारेश्वर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत लगातार अक्रियाशील होने के कारण जय माँ नर्मदा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., अनु. जाति इमलानी पंजीयन क्रमांक 2159, दिनांक 03 मार्च, 2011 को कमेटी द्वारा परिसमापन में लाये जाने बाबत् निर्णय लिया गया है तथा सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक/1166/म/समिति/2012-13 खण्डवा दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 के द्वारा उक्त समिति को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है. उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए है, का प्रयोग करते हुए जय माँ नर्मदा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., अनु. जाति इमलानी पंजीयन क्रमांक 2159, दिनांक 03 मार्च, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(79-H)

खण्डवा, दिनांक 27 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत्]

क्र./परि./2012/2061.—मध्यप्रदेश शासन मत्स्य पालन विभाग के निर्देशों के परिपालन में अक्रियाशील सदस्यों की सदस्यता समाप्त करने एवं अक्रियाशील मछुआ सहकारी संस्थाओं के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही के लिये मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खण्डवा की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय बैठक दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 में सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, जिला खण्डवा एवं क्षेत्रीय प्रबंधक, मत्स्य सहकारी महासंघ मर्या., भोपाल क्षेत्रीय कार्यालय नर्मदानगर/ओंकारेश्वर के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन पर विचार करने के उपरांत लगातार अक्रियाशील होने के कारण माँ नर्मदा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नया हरसूद पंजीयन क्रमांक 2122, दिनांक 04 नवम्बर, 2008 को कमेटी द्वारा परिसमापन

में लाये जाने बाबत् निर्णय लिया गया है तथा सहायक संचालक मत्स्योद्योग जिला खण्डवा के पत्र क्रमांक/1166/म/समिति/2012-13 खण्डवा दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 के द्वारा उक्त समिति को परिसमापन में लाये जाने की अनुशंसा की गई है. उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) (क) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं, का प्रयोग करते हुए माँ नर्मदा मत्स्य सहकारी समिति मर्या., नया हरसूद पंजीयन क्रमांक 2122, दिनांक 04 नवम्बर, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि उक्त कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को क्यों न परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र के द्वारा संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि सूचना-पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है. इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 27 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप पंजीयक.

(79-I)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला रायसेन, के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./1126 रायसेन, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पोलाहा.	827/08-05-2003	1126/30-07-2011
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शाहबाद तिलैडी.	842/10-09-2003	1126/30-07-2011
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कामतौन कासिया.	919/08-04-2005	1126/30-07-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बगासपुर.	465/14-02-1991	1126/30-07-2011
5.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., थाना.	710/04-04-2001	1126/30-07-2011
6.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सराकिया.	727/13-09-2001	1126/30-07-2011
7.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., वमुलिया दांगी.	712/04-04-2001	1126/30-07-2011
8.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छतरपुरा.	724/18-07-2001	1126/30-07-2011

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 30 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जाएगा तथा संस्था की लेख पुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेगें.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

विनयसिंह,
परिसमापक.

(80)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला रायसेन, के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./1126 रायसेन, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., लिलगंवा.	898/16-09-2004	1126/30-07-2011
2.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मुडियाखेडा.	360/25-10-1986	1126/30-07-2011
3.	भारत माता ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., देहगांव.	909/10-11-2004	1126/30-07-2011
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बाढेर.	903/20-09-2004	816/26-08-2008

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 30 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जाएगा तथा संस्था की लेख पुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेगें.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

अनुराग भल्ला,

(81) परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी

कार्यालय उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं जिला रायसेन, के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./1126 रायसेन, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	बहुउद्देशीय साख सहकारी संस्था मर्या., बाडी.	812/30-12-2002	1126/30-07-2011
2.	बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाडी.	694/11-09-2000	1126/30-07-2011
3.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बेरखेडीकला.	873/13-04-2004	1126/30-07-2011
4.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., पिपरिया करनसिंह.	880/28-07-2004	1126/30-07-2011
5.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कामतौन.	868/26-03-2004	1126/30-07-2011
6.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भारकच्छकला.	885/12-08-2004	1126/30-07-2011
7.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मनकापुर.	829/31-05-2003	1126/30-07-2011
8.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., कूटनासिर.	886/17-08-2004	1126/30-07-2011
9.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बामनवाडा.	923/15-06-2005	1126/30-07-2011
10.	ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., बरेली	844/19-09-2003	1126/30-07-2011
11.	महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था छींद	631/29-12-1997	1126/30-07-2011

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 30 दिवस के अन्दर मय साक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बंटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 30 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जाएगा तथा संस्था की लेख पुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयमेव प्रस्तुत किये समझे जावेंगे.

आज दिनांक 02 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

एम. पी. वर्मा,
परिसमापक.

(82)

कार्यालय परिसमापक, माँ शेरावाली सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

माँ शेरावाली सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1572, दिनांक 27 जुलाई, 2001 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1107, दिनांक 22 जुलाई, 2009 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(83)

कार्यालय परिसमापक, हीरा मिल एम्पलाइज सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

हीरा मिल एम्पलाइज सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 4030, दिनांक 17 नवम्बर, 1997 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1789, दिनांक 25 नवम्बर, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(83-A)

कार्यालय परिसमापक, न्यू नेशनल सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

न्यू नेशनल सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1408, दिनांक 21 अक्टूबर, 2005 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 272, दिनांक 06 फरवरी, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(83-B)

कार्यालय परिसमापक, जय गोगादेव वाल्मीकी सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

जय गोगादेव वाल्मीकी सेनेटरी मार्ट सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1529, दिनांक 25 अगस्त, 2000 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 272, दिनांक 06 फरवरी, 2008 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(83-C)

कार्यालय परिसमापक, पवनदूत यातायात सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत]

पवनदूत यातायात सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन, तहसील उज्जैन, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1013, दिनांक 27 अगस्त, 1991 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 2447, दिनांक 31 दिसम्बर, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत् प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

एच. एल. मन्सोरे,

(83-D) उप-अंकेक्षक.

कार्यालय परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., निपानिया ब्रदर

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q/2012/.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., निपानिया ब्रदर, तहसीरल महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 851 दिनांक 27 अप्रैल, 1989 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1354, दिनांक 27 जून, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(85)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., ढाबला वेणी

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q/2012/.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., ढाबलावेणी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 556 दिनांक 30 जून, 1981 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1354, दिनांक 27 जून, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(85-A)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याधुमा

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q/2012/.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., पिपल्याधुमा, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 832 दिनांक 04 मार्च, 1989 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1884, दिनांक 25 जुलाई, 2001 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(85-B)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., काचरिया

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q/2012/.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., काचरिया, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन, जिसका पंजीयन क्रमांक 795 दिनांक 21 मई, 1988 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1354, दिनांक 27 जून, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(85-C)

कार्यालय परिसमापक दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., आक्याजस्सा

दिनांक 26 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र./Q/2012/.—दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., आक्याजस्सा, तहसील घटिया, जिला उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 519 दिनांक 30 अप्रैल, 1980 है, को उप-रजिस्ट्रार/सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन के आदेश क्रमांक 1884, दिनांक 25 जुलाई, 2007 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम क्र. 57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि 2 माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 26 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

डी. एस. बाल्के,
परिसमापक.

(85-D)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण की जानकारी के लिए यह विज्ञप्ति प्रकाशित की जाती है कि कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, उज्जैन, जिला उज्जैन के आदेशानुसार मुझे निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं का परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक	परिसमापन नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4	5
1.	श्री महावीर साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1096/06-06-2004	2447/31-12-2007	2044/03-09-2010
2.	अंजूश्री साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1423/25-05-1996	2447/31-12-2007	2044/03-09-2010
3.	स्वर्णदीप साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	1496/28-01-1999	2447/31-12-2007	2044/03-09-2010
4.	जागृति साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा	1008/03-05-1991	2447/31-12-2007	2044/03-09-2010
5.	श्रमिक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., नागदा.	1489/09-09-1998	2447/31-12-2007	2044/03-09-2010
6.	दुग्ध उत्पादक साख सहकारी संस्था मर्या., लेकोड़िया टॉक.	649/13-03-1980	2447/31-12-2007	2044/03-09-2010
7.	द स्लेज फार्म सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	297/26-07-1977	147/28-01-1980	2044/03-09-2010
8.	राईस सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन.	402/18-11-1970	147/28-01-1980	2044/03-09-2010

1	2	3	4	5
9.	माँ मंशामाता स्लेज वाटर कन्जूमर्स को-आपरेटिव्ह सोसायटी मर्या., विनायगा.	1610/31-03-2003	147/28-01-1980	2044/03-09-2010
10.	किक्का कुक्कुट पालन, सहकारी संस्था मर्या., हताईपालकी.	700/04-02-1985	147/28-01-1980	2044/03-09-2010
11.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रूनिजा	612/06-06-1982	147/28-01-1980	2044/03-09-2012
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बघेरा	399/11-10-1976	1081/28-05-2012	1081/28-05-2012
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रोजवास	472/25-08-1980	1247/19-06-2012	1247/19-06-2012
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गावड़ी	645/27-01-1984	1244/19-06-2012	1244/19-06-2012
15.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., झुमकी	813/22-10-1988	1357/27-06-2007	2384/04-12-2012
16.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मालीखेड़ी	815/28-12-1988	1352/27-06-2007	2384/04-12-2012
17.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मंगरोला	417/30-09-1985	1141/20-05-1991	2384/04-12-2012
18.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नांदेड़	477/25-08-1980	1351/27-06-2007	2384/04-12-2012
19.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवली	651/13-03-1984	1351/27-06-2007	2384/04-12-2012
20.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीपुरा	393/11-10-1976	1351/27-06-2007	2384/04-12-2012
21.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कड़ोदिया	731/16-02-1986	2766/29-12-2008	2384/04-12-2012
22.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बिरगोद	655/16-03-1984	1351/27-06-2007	2384/04-12-2012

अतः मैं, आर. एस. मेहर, सहकारी निरीक्षक, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-71 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम 57 (सी) के अनुसार सर्व-साधारण की जानकारी के लिए सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त संस्थाओं के विरुद्ध किसी भी व्यक्ति/संस्था का कोई लेना-देना शेष हो तो वे इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के दो माह के अन्दर अपने दावे/आपत्ति प्रमाण सहित मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं , जिला उज्जैन में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि में पेश न होने वाले दावे/आपत्ति या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार की कार्यवाही की जाकर उक्त संस्थाओं के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे.

यह भी सूचित किया जाता है कि किसी व्यक्ति/सदस्यों/भूतपूर्व पदाधिकारियों के पास इस समिति की कोई लेखा पुस्तकें, रोकड़, चल-अचल सम्पत्तियों या अन्य कोई भी सामान अथवा रिकार्ड आदि हो तो इस सूचना के प्रकाशित होने के एक माह के अन्दर मुझे प्रस्तुत करके रसीद प्राप्त करें, अन्यथा निश्चित अवधि व्यतीत होने के बाद किसी भी व्यक्ति के पास इस समिति का उपरोक्त रिकार्ड होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सम्यक सूचना आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गयी.

आर. एस. मेहर,
परिसमापक.

(84)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 06 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन द्वारा निम्नांकित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अंतर्गत मुझे अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया :—

क्र.	परिसमापनाधीन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापक का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	अवंतिका नागरिक सहकारी बैंक मर्या., उज्जैन	408/30-04-1956	क्र./परि./2012/2385/04-12-2012
2.	सांदीपनी शिक्षण सहकारी संस्था मर्या.,उज्जैन	295/04-07-1970	क्र./परि./2012/2385/04-12-2012

1	2	3	4
3.	क्षेत्रिय सोया. सहकारी साख संस्था, उज्जैन	Ar/ujn/08-12-1970	क्रं./परि./2012/2385/04-12-2012
4.	गांधी ग्रामोद्योग सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन	359/29-09-1973	क्रं./परि./2012/2385/04-12-2012
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मौलाना	536/04-06-1982	क्रं./परि./2012/2385/04-12-2012
6.	गुरू बाबुलाल सहकारी साख संस्था मर्या., उज्जैन	1455/13-06-1997	क्रं./परि./2012/2385/04-12-2012
7.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., गैलाखेड़ी	653/14-12-1988	क्रं./परि./2012/2385/04-12-2012
8.	अनु.जाति कुक्कुट पालन सहकारी संस्था, उज्जैन	752/19-05-1987	क्रं./परि./2012/2385/04-12-2012
9.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., नवाखेडा पिपल्याराघो	250/07-06-1960	क्रं./परि./2012/2385/04-12-2012

अत: मैं, एस. सी. शर्मा, परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत यह सूचना प्रसारित करता हूँ कि उपरोक्त तालिका के कॉलम-2 में वर्णित संस्थाओं के प्रति कोई दावे या आपत्ति या रिकार्ड हो तो वे इस सूचना-पत्र जारी होने के दिनांक से दो माह के अंदर मुझे कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन में मय प्रमाण के प्रत्येक सोमवार को कार्यालयीन समय में लिखित में प्रस्तुत करें, उक्त समयावधि पश्चात दावे या आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा संस्था के परिसमापन की कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को प्रस्तुत कर दिया जावेगा.

यह भी सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संस्थाओं के पूर्व कर्मचारियों/सदस्य/सक्षम पदाधिकारी के पास कोई रिकार्ड, परिसम्पत्ति या नगदी हो तो उसे उपरोक्त अवधि में मेरे पास जमा करावे अन्यथा उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी.

एस. सी. शर्मा,
(39) परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला बुरहानपुर

बुरहानपुर, दिनांक 10 दिसम्बर, 2012

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा- 69 (3) के अन्तर्गत]

क्र./विधि/2012/801.—कार्यालय सहायक आयुक्त (आडिट) सहकारिता जिला बुरहानपुर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन द्वारा सूचित किया गया है कि सिद्धि विनायक पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर वर्ष 2010-11 से संस्था का अंकेक्षण नहीं करा रही है तथा कार्यालय द्वारा लिखे पत्रों के उपरांत भी अंकेक्षण न कराकर आदेशों की अवहेलना की जा रही है साथ ही संस्था के वित्तीय पत्रक भी नियमानुसार कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किये गये हैं. इससे स्पष्ट है कि.—

1. संस्था के नियमित अंकेक्षण हेतु संस्था द्वारा अंकेक्षको को रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है. जिससे यह विश्वास करने का पर्याप्त कारण है कि संस्था द्वारा विधिवत रिकार्ड संधारित नहीं किया जा रहा है.
2. संस्था का पंजीयन जिस उद्देश्य से किया गया उसकी पूर्ति करने में सर्वथा असफल रही है.
3. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
4. संस्था द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, नियम पंजीकृत उपविधियों तथा पंजीयक के निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जे. एल. बरडे, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बुरहानपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी , दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किये गये हैं का प्रयोग करते हुये सिद्धि विनायक पावरलूम बुनकर सहकारी समिति मर्या., बुरहानपुर को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि क्यों न उक्त वर्णित कारणो से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से तीस दिवस के अन्दर उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषय वस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह आदेश आज दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जे. एल. बरडे,
उप पंजीयक.

(68)

कार्यालय परिसमापक एवं उप अंकेक्षक, सहकारी समितियां, जिला हरदा

हरदा, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी समिति नियम, 1962 के नियम, 57 (सी) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2012/क्यू.-सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-हरदा के कार्यालयीन आदेश क्रमांक/परिसमापन/555, 498, 899, 500 एवं 553 हरदा, दिनांक 13 मई, 2010 एवं 18 जून, 2009 द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1	2	3
1.	चन्द्रदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., अतरसमा.	55/30-03-2002
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जिनवान्या	73/16-12-2012
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गोगिया	2693/24-05-1999
4.	तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेहटगॉव	2237/12-10-1984
5.	नारी कल्याण सिलाई उद्योग सहकारी समिति मर्या., हरदा.	1214 बी.पी.एल.79/100/01-08-1998

अतः मैं, आर. बी. रघुवंशी, उप-अंकेक्षक एवं परिसमापक, सहकारी समितियां जिला-हरदा मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 (17वां) सन् 1961 की धारा-71 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1962 के नियम क्रमांक 57 सी के अनुसार यह सूचना प्रकाशित करता हूँ कि उक्त समितियों के विरुद्ध जो भी लेनदारी एवं ऋण देना बकाया निकलता हो, प्रमाण सहित अपने दावे यदि कोई हो तो इस सूचना प्रसारण के दो माह की अवधि में मेरे समक्ष मेरे कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करें. उक्त अवधि के पश्चात् प्रस्तुत दावों पर कोई उजरदारी मान्य नहीं होगी एवं संस्थाओं के उपलब्ध लेखापुस्तकों में लेखबद्ध समस्त लेन एवं दायित्वों को उक्त उल्लेखित विधान एवं नियमों के अंतर्गत परिसमापक को विधिवत् प्रस्तुत किया गया ऐसा समझा जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है कि उपरोक्त लिखित सहकारी समितियों से संबंधित कोई भी कागजात, सामान देनदारियां आदि किसी भी व्यक्ति के पास हो तो वे इस सूचना प्रकाशित होने की दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर उल्लेखित कार्यालय में मेरे पास जमा कर देंवे. समयावधि के भीतर कागजात व सामान जमा न करने पर वे जुर्म के भागीदार होंगे.

आर.बी. रघुवंशी,
उप-अंकेक्षक.

(69)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड, सॉची

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन के परिसमापक आदेश क्रमांक/परि./1126 रायसेन, दिनांक 30 जुलाई, 2011 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम 1962 के नियम-57 (ग) के अंतर्गत निम्नांकित संस्थाओं के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर मुझे धारा-70 (1) के अंतर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	परिसमापन संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बांसाखेडा	754/22-02-2002	1126/30-07-2011
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भादनेर	738/29-12-2001	1126/30-07-2011
3.	रेडीमेड वस्त्रोद्योग सहकारी संस्था मर्या., खनपुरा	666/03-03-2004	1126/30-07-2011
4.	लेदर एवं मेंटल बेग औद्यो. सहकारी संस्था मर्या., रायसेन	924/24-06-2005	1126/30-07-2011
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नरवर	545/29-05-1992	1126/30-07-2011
6.	श्रीगणेश ईधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सॉची	856/14-01-2004	1126/30-07-2011

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि संस्था के विरूद्ध अपने समस्त दावों के सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मयसाक्ष्य के यदि कोई हो तो मुझे इस कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला रायसेन में उपस्थित होकर लिखित रूप से सप्रमाण प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में किसी भी बटवारे से वंचित होने के लिये संबंधित दावेदार स्वयं उत्तरदायी होंगे. यदि 60 दिवस की अवधि में किसी दावेदार ने अपना दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा मान्य नहीं किया जायेगा तथा संस्था की लेखापुस्तकों में समस्त लेखबद्ध दायित्व मुझे स्वयंमेव प्रस्तुत किये समझें जावेंगे.
आज दिनांक 4 जनवरी, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से यह आदेश जारी किया गया.

एम. एल. राजपूत,

(70) परिसमापक.

कार्यालय सहकारिता विस्तार अधिकारी एवं परिसमापक, विकासखण्ड सिवनी, जिला सिवनी

दिनांक 17 अक्टूबर, 2012

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम, 57 (ग) के अन्तर्गत]

विकासखण्ड सिवनी जिला सिवनी, अंतर्गत तालिका क्रमांक-2 में वर्णित सहकारी समितियों को उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं जिला सिवनी द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर तालिका क्रमांक-4 में वर्णित आदेश द्वारा धारा-70 (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरी को परिसमापक नियुक्त किया गया है:—

क्र.	सहकारी समिति का नाम	पंजीयन क्रमांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	पर्यावरण वाहिनी श्रमठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी	778	1159/28-08-2012
2.	शिक्षित बेरोजगार कल्याण सहकारी समिति मर्या., सिवनी	405	1160/28-08-2012
3.	प्राथमिक खदान स्टोन क्रेशर सहकारी समिति मर्या., सिवनी	288	1161/28-08-2012
4.	बैनगंगा महिला स्टेशनर्स सहकारी समिति मर्या., सिवनी	759	1162/28-08-2012
5.	भारत माता बुनकर सहकारी समिति मर्या., सिवनी	349	1163/28-08-2012
6.	बंशकार बांस उद्योग सहकारी समिति मर्या., सिवनी	809	1164/28-08-2012
7.	दूरसंचार कर्मचारी साख सहकारी समिति मर्या., सिवनी	771	1165/28-08-2012
8.	श्रीराम कृष्णा बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मारबोडी	820	1166/28-08-2012
9.	श्रम ठेका सहकारी समिति मर्या., सिवनी	616	1167/28-08-2012

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम 57 (ग) के अंतर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था/संस्थाओं के विरूद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखितरूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, त्रुटि की दशा में लेनदारगण किसी भी लाभ के बटवारे से वंचित होने के दायित्वाधीन होंगे. यदि उक्त अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो उसका दावा बाद में मान्य नहीं किया जावेगा एवं संस्था की लेखापुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयंमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 17 अक्टूबर, 2012 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

शिवानी ताराम,

(71) परिसमापक एवं सहकारिता विस्तार अधिकारी.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 07] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 15 फरवरी 2013-माघ 26, शके 1934

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के बैतूल एवं डिण्डोरी को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील चिचोली, बैतूल, मुलताई, आठनेर, आमला (बैतूल),डिण्डोरी (डिण्डोरी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, ग्वालियर, सागर, दमोह, सतना, शहडोल, सीधी, शाजापुर, सीहोर, बैतूल, हरदा, नरसिंहपुर, डिण्डोरी, टीकमगढ़,कटनी व सिवनी में रबी फसल की जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला टीकमगढ़ में फसल राई-सरसों, चना व ग्वालियर, सागर, दमोह, शहडोल, नरसिंहपुर एवं सीधी, राजगढ़, सीहोर, बैतूल, डिण्डोरी, सिवनी में रबी फसल की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**— जिला होशंगाबाद, बालाघाट में धान कटनी में फसल धान एवं खरीफ फसल व भोपाल में सोयाबीन व मंदसौर सोयाबीन, मक्का व झाबुआ,मक्का,सोयाबीन,धान, उड़द की कटाई, दमोह व सिवनी में खरीफ फसलों की कटाई एवं झाबुआ में मूंगफली की खुदाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, गुना, छतरपुर, सागर, शहडोल, उमरिया में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य में प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 31 अक्टूबर, 2012

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7 . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) बाजरा, ज्वार, मक्का, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		कपास समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, तिल सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .	चालू है.	4. (1) गन्ना, मूँगफली, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		तिल, मूँगमोठ, तुअर कम.	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) उड़द, तिल, मूँगफली, ज्वार, धान,	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		गन्ना, बाजरा, मक्का, मूँग समान.	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) गन्ना, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुंगावली	. .		4. (1) उड़द, गन्ना अधिक. मक्का, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघोगढ़	. .		(2) . .		
3. बमोरी	. .				
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
7. मकसूदन	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई व राई-सरसों चना की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) धान, ज्वार, मूँग, उड़द, तिल, मूँगफली, राई-सरसों, अलसी, मटर, मसूर, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लौण्डी	. .		4. (1) ज्वार, अरहर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
***जिला पन्ना :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अजयगढ़	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पन्ना	. .		(2) . .		
3. गुन्नौर	. .				
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, राई, सरसों, मसूर, तिवड़ा, अलसी, मटर, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) धान, ज्वार, तुअर, चना, मटर, मसूर अलसी राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, . .	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) चना कम. धान, ज्वार, कोदों-कुटकी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
***जिला रीवा :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. त्यौंथर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकचुर्लियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) मक्का, धान, उड़द, अरहर, कोदो-कुटकी, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
***जिला अनूपपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जैतहरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) धान, ज्वार, कोदों-कुटकी, अरहर, उड़द, तिल अधिक. चना, राई-सरसों अलसी कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मानपुर	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मसूर, कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझोली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
***जिला सिंगरौली :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन, मक्का की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) मक्का, उड़द कम. तिल, मूँगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. सीतामऊ	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) मक्का, मूँगफली, तिल, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) ज्वार, अरहर, मूँगफली, मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
5. बड़ौद	. .				
6. शाजापुर	. .				
7. शुजालपुर	. .				
8. कालापीपल	. .				
9. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		ज्वार, मक्का, कपास कम.	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. मक्का, सोयाबीन, धान,	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .	उड़द की कटाई एवं	4. (1) धान कम. मक्का, कपास, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .	मूँगफली की तुड़ाई का	उड़द, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .	कार्य चालू है.	(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. झाबुआ	. .				
5. भामरा	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर		3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोबट	. .	2. . .	4. (1) धान, कपास, तुअर, चना, गेहूँ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		अधिक. ज्वार कम.	चारा पर्याप्त.	
3. कट्ठीवाडा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. सोण्डवा	. .				
5. भामरा	. .				
6. उदयगढ़	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	. .		4. (1) ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		मूँगफली, तुअर समान.	चारा पर्याप्त.	
3. महेश्वर	. .		(2) समान.		
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगोन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसरावद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला पूर्व-निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	. .		4. (1) कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
***जिला बुरहानपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बुरहानपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खकनार	. .		(2) . .		
3. नेपानगर	. .				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की बोनी का	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. जीरापुर	. .	कार्य चालू है.	4. (1) गन्ना , ज्वार कम. मक्का, मूँगफली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	. .		तिल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन फसल की	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, तुअर, गन्ना, मूँगफली	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .	की बोनी का कार्य चालू	4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .	है.	(2) . .	. .	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गोहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. उदयपुरा	. .				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं रबी फसल की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैंसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, चना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. घोड़ाडोगरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	15.3				
5. बैतूल	3.6				
6. मुलताई	4.0				
7. आठनेर	13.3				
8. आमला	6.0				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) धान अधिक. गन्ना, मूँगमोठ,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		उड़द कम.	चारा पर्याप्त.	
3. बाबई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) धान सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) उपरोक्त फसल सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. जबलपुर	. .				
4. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. रबी फसल की जुताई एवं धान व खरीफ फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों, राहर, तिली,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		उड़द समान.	चारा पर्याप्त.	
3. विजयराघवगढ़	. .		(2) . .		
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, उड़द, मूँग अधिक. मक्का, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों, तुअर, तिल, सन सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. नैनपुर	. .				
4. मण्डला	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की बोनी हेतु जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	3.0		4. (1) धान, राहर,कोदों-कुटकी, तिल समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		(2) . .		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) मक्का, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. रबी की जुताई एवं रबी फसल की बोनी व खरीफ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, मूँगफली, गन्ना अधिक. ज्वार, कोदों-कुटकी, बाजरा,उड़द, मूँगमोठ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. कुरई	. .				
6. घंसौर	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान फसल की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी, तुअर, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला पन्ना, रीवा, अनूपपुर, सिंगरौली, बड़वानी, बुरहानपुर व रायसेन से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(73)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2013.